



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0

ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 182/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक पर दिनांक 16-04-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 11, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन
एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003
(अधिनियम सं0 11, वर्ष 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण
आदेश, 2002 में अग्रतर संशोधन करने के लिये अध्यादेश का प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार एवं
प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मूल अधिनियम की
धारा 13-ख की
उपधारा (3) में
संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 13 (ख) की उपधारा (3) निम्नवत् संशोधित की जाती है :-

राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन-पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएं, जैसा आवश्यक समझे, का शपथ-पत्र के साथ घोषणा-पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर सार्वजनिक करायेगा।

उत्तरांचल अध्यादेश
सं0 1, सन् 2003
का निरसन

3. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित समझा जायेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) Adaptation & Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 11 of 2003) for general information :

No. 182/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA ADHINIYAM, 1916)
ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2003
(ACT NO. 11 OF 2003)

AN
ACT

A replacing Act further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) Adaptation & Modification Order, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title,
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal State.

(3) It shall come into force at once.

2. Sub-section (3) of section 13--b of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Amendment) Act, 2002 (hereinafter referred to as the "Principal Act") shall be deemed to be amended as follows :--

Amendment of sub-section(3) of 13--b of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam 1959) Adaptation & Modification Order, 2002

State Election Commission shall obtain from all candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in clause(c) and (e), make public the same for the information of the electorate.

3. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Second amendment) Ordinance, 2003 (The Uttaranchal Ordinance no. 01 of 2003) is hereby repealed.

Repeal of Uttaranchal Ordinance no. 1 of 2003

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
B. LAL,
Secretary.